

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

पल्लभ भवन, भोपाल - 462004
=====

क्रमांक - एफ 73- 92 / 20-3/2009

भोपाल, दिनांक -

प्रति,

सविध,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रोत विहार, नई दिल्ली ।

विषय :- अज्ञातकीय संस्था रामजी इण्डिया इंटर मेनल स्कूल शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर
को सी. बी. एस. ई. / ~~अज्ञातकीय संस्था~~ से सम्बन्धता हेतु
सन.ओ.सी. देने बाबत ।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अज्ञातकीय संस्था रामजी इण्डिया इंटर मेनल स्कूल शिवपुरी लिंक रोड,
को सी. बी. एस. ई. / ~~अज्ञातकीय संस्था~~ नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति
प्रमाण - पत्र विशेष प्रकरण यंत्रण निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीयक (परीक्षा) को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है ।
02. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना होगा ।
03. मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों में यदि संस्था से जिन्हें कार्यों को अर्पण की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा ।
04. खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है । परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके किसी परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा ।

निरन्तर 2 पर,

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी, तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता -

आर. आर. अडिवार

अवर सचिव

मध्य प्रदेश ज्ञातन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठंकन क्रमांक स्प 73- 92 /20-3/2005

भोपाल, दिनांक - 08/12/2005

प्रतिलिपि :-

1. आधुक्त, लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश भोपाल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - खालिबर, मध्य प्रदेश
3. प्राचार्य, अज्ञातस्थान रामश्री इण्डिया इंटर नेशनल स्कूल जयपुरी लिंग रोड खालिबर
4. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है

अवर सचिव

मध्य प्रदेश ज्ञातन, स्कूल शिक्षा विभाग